सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 07 चैत्र, 1945 (श०) / 28 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	शिक्षा विभाग	05
(2)	परिवहन विभाग	01
(3)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	01
	कुल योग	07

शुल्क वापस लेना

80. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 मई, 2022 में छपी खबर के शीर्षक ''उद्योग लगाना हुआ महँगा'' के आलोक में क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योग लगाने के लिये एन0ओ0सी0 और रिन्युअल शुल्क बढ़ा दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन0ओ0सी0 और रिन्युअल शुल्क बढ़ने से राज्य में छोटा-बड़ा उद्योग लगाना और मुश्किल हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में अधिक से अधिक छोटे-बड़े उद्योग को बढ़ावा देने हेतु बढ़े हुये एन0ओ0सी0 शुल्क और रिन्युअल शुल्क को वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

81. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे के 50 प्रतिशत स्कूलों के शौचालय बेकार'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि यूडायस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक तक 90 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय है लेकिन 50 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नाम मात्र का शौचालय है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार ससमय शौचालय नहीं बनवाकर बच्चे-बच्चियों को बेकार पड़े शौचालय में ही जाने को मजबूर करने वाले विद्यालय प्रशासन एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

82. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने देश के नागरिकों को भ्रष्टाचार रहित, सम्पर्क रहित सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालक अनुज्ञप्ति से संबंधित कार्यों के लिये सार्थी पोर्टल को 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया जिसमें आधार ई0-के0वाई0ई0सी0 एवं फेस लेश के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीकीकरण एवं लाइसेंस से संबंधित विभिन्न त्रुटियों को सुधार इत्यादि सेवा घर बैठा दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आधार ई0-के0वाई0ई0सी0 एवं फेस लेश के माध्यम से बंगाल, असम, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, परन्तु बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार में भी आधार ई0-के0वाई0ई0सी0 एवं फेस लेश के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गरीब बच्चों का नामांकन कराना

83. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''जुर्माना देना पसंद पर गरीबों का दाखिला लेना नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के 500 (पाँच सौ) से अधिक प्राइवेट स्कूल समेत कई जिलों में स्थित प्राइवेट स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लेते हैं, डी0ई0ओ0 कार्यालय द्वारा दबाव देने पर एक या दो बच्चों का नामांकन या जुर्माना भर देते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लेते ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार पटना जिला सहित अन्य जिलों के प्राइवेट स्कूलों में स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन शत-प्रतिशत करने एवं नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों की संबद्धता रद्द करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना

84. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में इंटरमिडिएट में प्रतिवर्ष 14.5 लाख छात्र उत्तीर्ण होते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इंटरमिडिएट के बाद उच्च शिक्षा के बिहार में केवल 6.5 लाख छात्र नामांकन लेते है एवं शेष 8 लाख छात्र गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिये राज्य के बाहर जाना पसंद करते है जिससे छात्र औसतन 5 साल राज्य के बाहर चले जाते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना

85. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019 बनाया गया है, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष एवं सात सदस्यीय सदस्य होते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नये सत्र शुरू होने के तीन माह पहले समिति को सभी निजी विद्यालयों से फीस की जानकारी लेनी है, निजी विद्यालयों को एक बार में 7 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि कारण बताने के बाद ही करनी है, राज्य में 2019 के बाद सभी 9 प्रमंडलों में समिति की बैठक नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निजी विद्यालयों में अधिनियम, 2019 को लागू कराने एवं प्रमंडलों में नियमित बैठक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निजी स्कूलों में NCERT किताब चलाना

86. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "निजी प्रकाशन की किताबें 15 और स्टेशनरी 10 फीसदी हुई महंगी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि CBSE ने नये सत्र शुरू होने के पहले 25 मार्च, 2023 तक राज्य के सभी निजी स्कूलों से किताबों की सूची माँगी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी निजी स्कूलों के संचालक सस्ती दर में उपलब्ध होने वाली NCERT की किताबें नहीं चलाकर निजी प्रकाशन की किताबें चलाती है, जबकि नियम के अनुसार 80 प्रतिशत किताबें NCERT का चलाना है ;

(3) क्या यह बात सही है कि निजी प्रकाशन की किताबों की खरीदारी में अभिभावकों की आर्थिक बोझ के साथ-साथ बच्चों के बैग का वजन भी अधिक रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी निजी स्कूलों में CBSE के नियमों के अनुसार NCERT किताब चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 109(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550